भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4726** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

पोत निर्माण क्लस्टरों का विकास

†4726. कैप्टन बृजेश चौटा :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की पहल के अंतर्गत पोत निर्माण क्लस्टर के विकास के लिए राज्यों का चयन किन मानदंडों के आधार पर किया गया था;

(ख) क्या इस पहल को दक्षिण कन्नड़ सहित कर्नाटक के अन्य तटीय क्षेत्रों में विस्तारित करने की कोई भावी योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) घरेलू पोत निर्माण उद्योग की वर्तमान क्षमता और योग्यता क्या है तथा परिचालनरत शिपयार्डों की संख्या और उनकी उत्पादन क्षमता राज्यवार कितनी है;

(घ) विशेषीकृत इस्पात, प्रणोदन प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों सहित पोत निर्माण घटकों के लिए भारत की आयात पर निर्भरता कितनी है तथा इस निर्भरता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने पोत निर्माण घटकों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ाने और इस क्षेत्र के लिए आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने के लिए कोई योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पोत निर्माण क्लस्टरों का रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा वैश्विक समुद्री उद्योग में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (च): घरेलू शिपयार्ड की राज्यवार क्षमता और योग्यता **अनुबंध** के रूप में संलग्न है। भारत का पोत निर्माण उद्योग विशेष समुद्री ग्रेड स्टील, प्रोपल्सन सिस्टम (इंजन, गियरबॉक्स), नेविगेशन उपकरण और उन्नत सामग्री जैसे महत्वपूर्ण घटकों के लिए आयात पर निर्भर है। यह निर्भरता सीमित घरेलू उत्पादन क्षमताओं के कारण है, जिससे आयात शुल्क, लॉजिस्टिक्स व्यय, लंबी खरीद अवधि और वैश्विक आपूर्ति

श्रृंखला में व्यवधानों के प्रभाव के कारण लागत बढ़ जाती है। भारत सरकार ने बजट भाषण, 2025 में निम्नलिखित घोषणाएँ की हैं:

i. लागत संबंधी नुकसानों से निपटने के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को पुन: तैयार किया जाएगा। सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसमें भारतीय यार्डों में शिप ब्रेकिंग के लिए क्रेडिट नोट्स भी शामिल किए जाएंगे।

ii. निर्दिष्ट आकार से बड़े आकार वाले जलयानों को इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट (एचएमएल) में शामिल किया जाएगा।

iii. पोतों की रेंज, श्रेणियों और क्षमता को बढ़ाने के लिए शिपबिल्डिंग क्लस्टर को सहायता दी जाएगी। इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए अवसंरचना संबंधी अतिरिक्त सुविधाएं, कौशल देना और प्रौद्योगिकी शामिल होगी।

iv. समुद्री उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए, 25,000 करोड़ रुपए की अक्षय निधि से एक समुद्री विकास निधि सृजित की जाएगी। यह वितरित समर्थन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए होगा। इसमें सरकार का 49 प्रतिशत तक का योगदान होगा, और शेष राशि पत्तनें और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी।

v. पोतों के निर्माण के लिए कच्चे माल, घटकों, उपभोग्य सामग्रियों या पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की छूट को और अगले दस वर्षों तक जारी रखना।

पोत निर्माण क्लस्टरों के विकास से रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैश्विक समुद्री उद्योग में भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।

अनुबंध

राज्यवार शिपयार्डों की सूची तथा डीडब्ल्यूटी में उनकी पोत निर्माण क्षमता नीचे दी गई है:

क्रम सं.	**शिपयार्ड का नाम**	**पोत निर्माण क्षमता (डीडब्ल्यूटी)**
आंध्र प्रदेश		
1	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	80000
गोवा		
1	विजय मरीन सर्विसेज	12000
2	मंडोवी ड्राय डॉक्स	12000
3	चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	7000
4	डेम्पो शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	18000
5	वाटरवेज शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	10000
6	सिनर्जी शिपबिल्डर्स	10000
7	जुआरी शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	9000
8	विक्टोरिया शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग एलएलपी	8000
9	अत्रेया शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	6000
10	वेस्ट कोस्ट शिपयार्ड लिमिटेड	5000
11	एक्वेरियस शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	2000
12	प्रका इंजीनियरिंग शिपयार्ड	20000
13	टिंब्लो ड्राय डॉक्स प्राइवेट लिमिटेड	5000
14	एस्सफोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	3000
15	मैजेस्टिक डॉकयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	3000
गुजरात		
1	शोफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	36000
2	एएच वाडिया बोट बिल्डर्स	300

3	स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड.	900000
कर्नाटक		
1	जलमार्ग शिपयार्ड	10000
2	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	9000
3	चौगुले एसबीडी प्राइवेट लिमिटेड	32000
केरल		
1	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	235000
2	मास्टर शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	4000
3	सागर नीला शिपयार्ड	5000
4	नवगति मरीन डिजाइन और कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	7000
5	नवल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स प्राइवेट लिमिटेड	1600
6	केरल शिपिंग और अंतर्देशीय नेविगेशन निगम	800
7	ब्रिस्टल बोट्स प्राइवेट लिमिटेड	200
महाराष्ट्र		
1	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड.	80000
2	मरीन फ्रंटियर्स प्राइवेट लिमिटेड	300
3	कोंकण बार्ज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	3000
4	एमओसी शिपयार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	3000
5	मोडेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	6000
6	सनरिच शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	2000
तमिलनाडु		
1	एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड	26000
पश्चिम बंगाल		
1	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड.	20000

2	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	3000
3	ए.सी. रॉय शिपबिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	3000
4	टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड	6000
5	शालीमार वर्क्स लिमिटेड	12000

नोट: उपरोक्त डेटा संबंधित शिपयार्ड, शिपयार्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया से प्राप्त डेटा और शिपयार्ड की वेबसाइट पर यथा, उपलब्ध डेटा के आधार पर संकलित किया गया है। शिपयार्ड की उपरोक्त सूची, संपूर्ण सूची नहीं है। नौवहन महानिदेशालय द्वारा इस सूची को लगातार अद्यतन किया जा रहा है।

****